न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी सन्

रामस्वरूप तनय श्री महाप्रसाद चतुर्वेदी
निवासी सन सिटी कालौनी 146 छतरपुर
म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

कलेक्टर स्टाम्प जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 56(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत

अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प छतरपुर अधीनस्था न्यायालय का प्रकरण कमांक 3/सी–132/16–17

आदेश दिनांक 19.01.2017

मुद्रांकन शुल्क स्टाम्प – 1185020/–रू0 ,

स्टाम्प केता– रामस्वरूप तनय श्री महा प्रसाद चतुर्वेदी

लिखित का स्वरूप – ठेका का करार शुल्क

लिखित का दावेदार – म0प्र0 शासन खनिज विभाग

निष्पादन का कारण – कार्यालय कलेक्टर छतरपुर का पत्र कमांक 1575 खनिज 2013 दिनांक 16.08.2016

स्टाम्प वापिस तिथि – 07.11.2016 पत्र कमांक 1699/खनिज/2016

म्होदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है–

01. यह कि निगरानीकर्ता को कलेक्टर छतरपुर खनिज द्वारा ग्राम चुकेहटा स्थित रेत खदान का ठेका वर्ष 2013 सें 2015 दो वर्षो के लिये 23628375/–रू0 के बदले प्रदान किया गया था कलेक्टर छतरपुर द्वारा ठेका स्वीकृत पश्चात् अपने पत्र कमांक 1575/खनिज/2013 आदेश दिनांक 16.11.2013 को करार निष्पादन ठेका राशि 23628375/–रू0 के 5 प्रतिशत मान से मु0 1319986/–रू0 के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

क्रमशः//2//

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–7023–1/17 जिला – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/02/18	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प छतरपुर के प्रकरण क. 3/सी–132/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2017 के विरुद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा 56(4) के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक को कलेक्टर (खनिज) छतरपुर द्वारा ग्राम चुकहंटा स्थित रेत खदान का ठेका वर्ष 2013 से 2015 तक के लिए प्रदान किया गया था। ठेका स्वीकृति पश्चात कलेक्टर द्वारा अपने पत्र कमांक 1575/खनिज/2013 दिनांक 16.11.2013 को करार निष्पादन ठेका राशि के 5 प्रतिशन के मान से 13,19,986/– रुपये के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उक्त निर्देश के पालन में आवेदक द्वारा उक्त राशि के स्टाम्प पेपर कय कर दिनांक 09.09.2013 को संबंधित विभाग में जमा कराये गए, परंतु किसी कारणवश अनुवंध समायावधि तक नियमानुसार करार के मुताबिक नहीं हो पाने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका कमांक 3514/15 प्रस्तुत की गई। जिसमें निगरानीकर्ता को खदान का ठेका दिए जाने अथवा उसके द्वारा जमा की गई राशि वापिस किए जाने का अनुरोध किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका का निराकरण करते हुए यह कहा गया कि आवेदक को संबंधित अधिकारी के समक्ष स्टाम्प की राशि के रिफण्ड हेतु उपचार उपलब्ध है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर से कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा अपने पत्र कमांक 1699/खनिज/2016 दिनांक 07.11.2016 द्वारा अधिक लगाई गई राशि रुपये 1185020/– के स्टाम्प आवेदक को वापिस	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किए गए। तदुपरांत आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.11.2016 को आवेदन प्रस्तुत कर रिफण्ड दिलाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदक द्वारा रिफण्ड हेतु आवेदन स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि कलेक्टर छतरपुर द्वारा उन्हें रेत खदान का ठेका प्रदान किया गया था तथा कलेक्टर के निर्देशानुसार ही उन्होंने अनुबंध हेतु स्टाम्प पेपर कय कर संबंधित विभाग में जमा किए जाकर करार का निष्पादन किया गया था, परंतु राज्य सरकार द्वारा करार अनुसार ठेका आवेदक को प्रदान नहीं किया गया। इसलिए प्रकरण में रिफण्ड वापिसी के आवेदन प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है उसमें आवेदक की कोई त्रुटि नही है। कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 07.11.2016 को आवेदक को स्टाम्प वापिस किए है। स्टाम्प वापिस प्राप्त होने पर आवेदक ने बिना देरी किए दिनांक 17.11.2016 को रिफण्ड वापिसी हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इस कारण इस प्रकरण में अवधि की गणना दिनांक 07.11.2016 से की जाना चाहिए थी, जो न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अवधि के अंदर न मानकर निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा विधि एवं नैसर्गिक न्याया के सिद्धांतों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर स्टाम्प की राशि रिफण्ड किए जाने के आदेश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा स्टाम्प एक्ट में निर्धारित दो माह की	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निगरानी–7023–1/17 जिला – छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवधि में रिफण्ड वापिसी हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक के आवेदन को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को कलेक्टर, छतरपुर द्वारा ग्राम चुकहंटा तह0 गौरिहार जिला छतरपुर के खसरा नं. 332 के रकवा 4 हेक्टेयर पर रेत खदान का ठेका वर्ष 2013 से 2015 तक के लिए प्रदान किया गया था। तथा अपने पत्र दिनांक 16.11.2013 द्वारा आवेदक को करार निष्पादन ठेका राशि के 5 प्रतिशत के मान से 13,19,986/– के स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। जिस पर से आवेदक द्वारा उक्त राशि के स्टाम्प कलेक्टर छतरपुर के यहां जमा कराये गए, परंतु आवेदक को खनिज के ठेके की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान नहीं किए जाने के कारण आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 3514/15 प्रस्तुत कर निगरानीकर्ता को खदान का ठेका दिया जाने या उसकी जमा राशि वापिस किए जाने का अनुरोध किया गया। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा जिलाध्यक्ष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर स्टाम्प वापिस किए जाने का अनुरोध किया जिस पर से कलेक्टर ने अपने पत्र दिनांक 07.11.2016 द्वारा आवेदक को अधिक राशि रुपये 11,85,020/– के स्टाम्प वापिस किए। स्टाम्प प्राप्त होने पर आवेदक द्वारा दिनांक 17.11.2016 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के कार्यालय में जमा कर राशि वापिस किए जाने का अनुरोध किया जिसे कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने यह मानकर कि रिफण्ड हेतु आवेदन तीन वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है। जो स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों अनुसार निर्धारित अवधि में	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	नहीं है। आवेदक का रिफण्ड आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में जो विलंब हुआ है उसके लिए आवेदक को जिम्मेदार ठहराना न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि आवेदक के द्वारा कलेक्टर के निर्देशानुसार स्टाम्प की राशि शासकीय खजाने में जमा की गई है और चूंकि ठेका उसे नहीं दिया गया है। इस कारण आवेदक अपनी जमा राशि पाने का पात्र है, क्योंकि आवेदक द्वारा जमा कराये गए स्टाम्प शासन के आधिपत्य में थे, जो आवेदक की पहुंच से बाहर थे। कलेक्टर छतरपुर द्वारा आवेदक को दिनांक 07.11.2016 को स्टाम्प वापिस किए जाने पर आवेदक ने बिना किसी विलंब के दिनांक 17.11.2016 को स्टाम्प की राशि रिफण्ड करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखन से यह स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए यह मानने में त्रुटि की गई है कि आवेदक द्वारा रिफण्ड आवेदन निर्धारित समायावधि में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। परिणामतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला छतरपुर द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 19.01.2017 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक की निगरानी स्वीकार करते हुए कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत रिफण्ड आवेदन स्वीकार किया जाए एवं स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिफण्ड हेतु प्रस्तुत स्टाम्प्स की राशि में से नियमानुसार राशि काटकर शेष राशि का भुगतान आवेदक को किया जाए। **(एम. गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य** **राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,** **ग्वालियर**	